

27.5.19

पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित  
 अधिवक्ता द्वारा वादीगण की ओर से दिनांक  
 10.1.19 को एक शर्तना-पत्र वाक्य वाद विद्वा  
 मिने जाने प्रस्तुत किए जाने के उक्त अधिवक्ता  
 द्वारा कथन किया कि पक्षद्वारा दे मध्यस्थी-  
 -नामा हो गया है तथा वादीगण स्वयं उक्त  
 दिनांक के अधिवक्ता होकर मोरिनक कथन भी  
 करके गये थे। वाद विद्वा का निवेदन किया गया।  
 न्यायालय द्वारा क.पत्र वाक्य वाद विद्वा  
 व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण  
 व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने की स्थिति  
 में वादी वाद को विद्वा चाहें हैं, किंतु लोअवाका-  
 न्याय को मध्य नजर रखते हुए, वादी का शर्तना-  
 पत्र न्यायादित में स्वीकार किया जाता है तथा  
 वादीगण को वाद विद्वा मिने जाने की अनुमति  
 उदान की जाती है। निबंध से ईफलास पुगला  
 गला। पत्रावली पेशाल सुधार नम्बर से क  
 हो।

उप सखंड अधिकारी  
 जयपुर (प्रथम), जयपुर

